



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-499

New Delhi: 11.12.2018

Shri Jahan Singh
S/o Sh. Jainarayan Singh
Village Nasarseda Pargana
Tehsil Derapur Post-Jhinjhak
Janpad Kanpur Dehat, UP-209302
Mobile-9936474034

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 31.10.18 received on 05.11.18

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 01 Sheet.

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 5-12-18

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
दुण्डला (आगरा)

विषय :- श्री जहान सिंह पुत्र जयनरायन, ग्राम-नासरखेड़ा, तहसील-डैरापुर, जनपद-कानपुर देहात, द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- डिप्टी जी०एम०/एण्मीन/पी०आई०ओ० का पत्रांक सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-499 Dated 06.11.18

महोदय,

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना विषयक, श्री जहान सिंह पुत्र जयनरायन, ग्राम-नासरखेड़ा, तहसील-डैरापुर, जनपद-कानपुर देहात, उ०प्र० का पत्र दिनांक 31.10.2018, डी०जी०एम०/एडमीन (पी०आई०ओ०) का पत्र सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-499 दिनांक 06.11.18 जो आपको सम्बोधित है, के संलग्नक रूप में इस कार्यालय में, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम-नासरखेड़ा, तहसील-डैरापुर, जिला-कानपुर देहात की एलाइमेन्ट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में, गाटा सं० 304 का रकबा 0.1660हे० तथा द्वितीय चरण में रकबा 0.1375हे० का अर्जन नियमानुसार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया गया है।

अभिनिर्णय वाद सं० 10/2011-12 दिनांक 05.09.2011 द्वारा अर्जित गाटा सं० 304 रकबा 0.1375हे० के विरुद्ध श्री मुश्ताक सिद्धदीकी व अन्य, ग्राम-नासरखेड़ा, तह०-डैरापुर, जिला-कानपुर देहात, ने मा० आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष मध्यस्थतावाद सं० 90/2017 दायर किया था, जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.07.2017 के अनुपालन में उक्त गाटा सं० 304 के रकबा 0.0320हे० का पुनरीक्षित प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धित भूस्वामियों को किया जा चुका है। प्रार्थी व अन्य के हिस्से की भूमि रकबा 0.1055हे० के प्रतिकर का भुगतान अभीतक भूस्वामियों के आपसी विवाद/हिस्साकशी सुनिश्चित न होने के कारण पुनरीक्षित प्रतिकर का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 की धारा-20ई के प्रकाशन के उपरान्त अर्जित भूमि रेल मंत्रालय भारत सरकार में स्वतः सन्निहित हो जाती है तदानुसार अर्जित भूमि राजस्व अभिलेखों में भी नामांकित हो गई है। इसके लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। भूमि के पुनरीक्षित प्रतिकर का भुगतान वांछित आवश्यक प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सका।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल./कानपुर।

Page 1 of 1

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur - 208025

Telefax: 0512-2225124 Mobile 7060803012 E mail - bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in